


9/7/2020

पत्रावली पेश हुई। वकील कदी हाजिर।
 वकील कदी ने आदिर किया कि पथकरण के
 मध्य आपसी राजीनामा होने से प्रकरण
 चलाना नहीं चाहते हैं। नोट प्रेस कर प्रकरण
 में कार्यवाही खारिज करने का निवेदन किया।
 चूंकि कदी वकील कदी चलाना नहीं चाहते हैं
 अतः प्रकरण नोट प्रेस करने से खारिज किया
 जाता है। दिवाल फंसल शुमार होकर नंबर से 55
 की जाकर दाखिल वफा रहे।


 उपखण्ड अधिकारी
 सरवाइ जिला-अजमेर

Not P...
 On...
 (कार्यवाही)

